

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-iv/10

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

25 APR 2011

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर दिनांक 01.05.2011 के अवकाश के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रमिक दिवस को देखते हुए दिनांक 01.05.2011 को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर श्रमिकों का साप्ताहिक अवकाश रखा जावे एवं इसके स्थान पर पूर्ववर्ती अथवा इसके पश्चात के गुरुवार को कार्य दिवस रखा जावे। यह अवकाश अवैतनिक अवकाश रहेगा।

इस सूचना की जानकारी आपके अधीनस्थ कार्यालयों एवं स्थानीय समाचार पत्रों को भी दे दी जावे ताकि आम नरेगा श्रमिक को इसकी जानकारी हो जावे।

भवदीय

(एन.के.गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, जनसम्पर्क विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस